न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 05/16 (59/2015)

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर। .....*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री भागचन्द निवासी सरवाड।
   प्रोपराईटर फर्म मैसर्स राजकुमार प्रदीपकुमार सरवाड। .....*अप्रार्थी*

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :... 1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रर्वतन अधिकारी पैरोकार सरकार
2. श्री पी.एस. सोनी, जिनेश सोनी अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश दिनांक– 23.08..2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दालो के अवैध भण्डारण की सूचना पर दिनांक 21.10.2015 को ज़िला रसद अधिकारी अजमेर(द्वितीय) मय रसद स्टाफ के सरवाड शहर के चमन चौराहे पर स्थित अप्रार्थी के किराने की दुकान पर पहूँच कर जांच किये जाने पर फर्म के एक गोदाम पर 22.70 क्वि0 तथा केकडी रोड के दूसरे गोदाम पर 139.70 क्वि0 दालो (चना,चौला मोगर, एवं मसूर दाल) का स्टॉक मिला। मौके पर पूछताछ में अप्रार्थी द्वारा आर.टी.ए.एल.लाईसेंस होने से इन्कार किया। चूंकि यह स्टॉक बिना लाईसेंस धारक व्यापारी हेतु अधिकतम अनुमत सीमा 10 क्वि0 से बहुत अधिक है ऐसी स्थिति में उक्त 162.40 क्वि0 दाल पैंकिग सहित राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 के खण्ड 18 के उपखण्ड (1) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजहित में कब्जे राज की जाकर मौके पर मैसर्स भगवान दास मूदंडा पुत्र श्री रामपाल मूदंडा जाति माहेश्वरी निवासी सदर बाजार, सरवाड आर.टी.ए.एल. व्यवसायी (1/2000) को अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द की गई। सुपुर्दगी नामा पृथक से तैयार किया गया। एकसमय में किसी भी व्यवसायी को 10 क्वि0 से अधिक दालो के विक्रय हेतु खरीद एवं भण्डारण के लिए राजस्थान व्यापारिक वस्तु अनुज्ञापन एवं नियंत्रण आदेश 1990 के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) एवं (ii) अन्तर्गत अनुज्ञापत्र होना आवश्यक है अप्रार्थी/फर्म मैसर्स राजकुमार प्रदीप कुमार, सरवाड के पास उक्त आदेश के तहत कोई वैद्य अनुज्ञापत्र नहीं पाया जाने पर दालों का खरीद एवं भण्डारण बिना अनुज्ञापत्र किया जाना प्रमाणित होने के कारण कब्जे राज ली गई 162.40 क्वि0 दालों को मय बारदाना आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने के आदेश हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। साथ ही प्रस्तुत अन्तरिम निस्तारण प्रार्थना पत्र पर उन्हे सुना जाकर कब्जेराज ली गई 162.40 क्वि0 दाल का अन्तरिम निस्तारण न्यायोचित प्रतीत होने से नियमानुसार निर्धारित प्रकिया के तहत अपेक्षित कार्यवाही कर प्राप्त राशि बतौर (ता फैसला रसद प्रा0पत्र) राजकोष में जमा कराने हेतुक जिला रसद अधिकारी अजमेर को निर्देशित किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा 6 ए

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये व जवाब नोटिस एवं प्रार्थना पत्र 6–बी प्रस्तुत कर समय वास्ते साक्ष्य/जिरह प्रद्वत किये जाने का निवेदन किया इस प्रार्थना पत्र के साथ 1990 CRI.L.J.1969 (PATNA HIGH COURT) पेज 1969 से 1973 एवं Cr.L.R.(Raj.) 288 JAIPUR BENCH के पेज 289 से 293 की फ़ोटो स्टेट प्रति पेश की एवं उद्वत करवाई। जिसका प्रार्थी पैरोकार सरकार ने विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रकरण दालो के अवैध भण्डारण से सम्बन्धित होकर 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त दालो के निस्तारण की अपेक्षित कार्यवाही का है। वरवक्त जब्ती कार्यवाही अप्रार्थी को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी उनके द्वारा कोई साक्ष्य/सबूत यथा भण्डारण हेतु आवश्यक आर.टी.ए.एल. लाईसेन्स अथवा इस हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी कोई जानकारी तथ्य तत्समय प्रस्तुत नहीं किये। चूंकि अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें साक्ष्य सम्बन्धी तथ्यों का उल्लेख आवश्यक रूप से दर्ज किये होगें। इसलिए प्रकरण की प्रकति के मध्यनजर पृथक से साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जाना न्याय संगत एवं कानूनन अपेक्षित है। वैसे वरवक्त बहस अप्रार्थी अपने शेष अन्य कथनों को मान0 न्यायालय के समक्ष प्रकट कर सकते है। लिहाजा बहस सुनी जावे। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर के सन्दर्भ में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के खण्ड 18 एवं 19ए (पेज सं0 18 एवं 19) की फोटो स्टेट प्रति पेश की तथा तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण में लागू नहीं होने के कथन कहे। पैरोकार सरकार द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों के अन्तर्गत अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने पर प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 162.40 क्वि0 दाले मय बारादाना आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने का आदेश दिनांक 10.11.2015 को पारित किया गया। साथ ही उक्त जब्त सामग्री 162.40 क्वि0 दालों का अन्तरिम निस्तारण, आदेश दिनांक 30.10.2015 द्वारा किया जाने से जिला रसद अधिकारी, अजमेर को इसका नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त राशि नियमानुसार राज्य कोष में जमा कराई जाने के भी निर्देश दिये गये।

इस आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी प्रदीप कुमार पुत्र भागचन्द प्रोपराईटर मैसर्स राजकुमार प्रदीप कुमार सरवाड जिला अजमेर द्वारा माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर के यहॉ अपील प्रस्तुत की गई जो विधिवत निस्तारण हेतु अंतरित होकर न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–1 अजमेर (राज0) को प्राप्त होने पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.4.2016 द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.2015 अपास्त कर पुनः इस न्यायालय (जिला कलक्टर,अजमेर) को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे दोनो पक्षों को समुचित साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए मामले का निरस्तारण करें। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण पुनः दर्ज कर उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। आदेश की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज कर उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा श्री विनयकुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी द्वितीय एवं नीरज कुमार जैन प्रवर्तन निरीक्षक के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये, जिनसे अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा जिरह पूर्ण की गई। अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। अप्रार्थी द्वारा बहस सुने जाने के निवेदन पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

पैरोकार सरकार नें प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया कि दालो के अवैध भण्डारण की सूचना पर दिनांक 21.10.2015 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (द्वितीय) मय रसद स्टाफ के सरवाड शहर के चमन चौराहे पर स्थित अप्रार्थी के किराने की दुकान पर पहूँच कर मौके पर जांच किये जाने पर फ़र्म के एक गोदाम पर 22.70 क्वि0 तथा केकडी रोड के दूसरे गोदाम पर 139.70 क्वि0 दालो (चना,चौला मोगर, एवं मसूर दाल) का स्टॉक मिला। मौके पर पूछताछ में अप्रार्थी द्वारा आर. टी.ए.एल.लाईसेंस होने से इन्कार किया। चूंकि यह स्टॉक बिना लाईसेंस धारक व्यापारी हेतु अधिकतम अनुमत सीमा 10 क्वि0 से बहुत अधिक है। ऐसी स्थिति में उक्त 162.40 क्वि0 दाल पैंकिग सहित राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 के खण्ड 18 के उपखण्ड (1) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजहित में कब्जे राज की जाकर मौके पर मैसर्स भगवान दास मूदंडा पुत्र श्री रामपाल मूदंडा जाति माहेश्वरी निवासी सदर बाजार, सरवाड आर.टी.ए.एल. व्यवसायी (1/2000) को अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द की गई। किसी भी व्यवसायी को 10 क्वि0 से अधिक दालो के विकय/खरीद एवं भण्डारण के लिए राजस्थान व्यापारिक वस्तु अनुज्ञापन एवं नियंत्रण आदेश 1990 के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) एवं (ii) अन्तर्गत अनुज्ञापत्र प्राप्त करना आवश्यक है। जब कि अप्रार्थी/फर्म मैसर्स राजकुमार प्रदीप कुमार, सरवाड के द्वारा कोई अनुज्ञापत्र प्राप्ति बाबत दस्तावेजात वरवक्त जांच प्रस्तुत नहीं किये है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा वैध अनुज्ञापत्र बिना दालों का खरीद एवं भण्डारण किया जाना प्रमाणित है। अतः कब्जे राज ली गई 162.40 क्वि0 दाले मय बारदाना आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

जवाब में अप्रार्थी अभिभाषक ने कथन किया कि अप्रार्थी एक डीलर है एवं वर्तमान में वह अपना व्यापार मै0 राजकुमार प्रदीपकुमार सरवाड के नाम से नाम से चला रहा है। अप्रार्थी के पास कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर का स्थाई लाईसेन्स है, एवं वह वाणिज्यिक कर विभाग से भी पंजीकृत है। उनके पास Food safety and standard act, 2006 के तहत राजस्थान सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी लाईसेंन्स भी है। इसके अलावा अप्रार्थी को आर.टी.ए.एल. के अन्तर्गत लाईसेन्स संख्या 2/2000 जारी है। पुष्टि हेतु जवाब के साथ इनसे सम्बन्धित फोटो स्टेट प्रतियॉ प्रस्तुत है। इस प्रकार अप्रार्थी कानूनन अपना व्यापार कर रहा है। फूड एण्ड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेन्ट द्वारा दिनांक 20.10.2015 एक नोटिफिकेशन जारी किया है यह नोटिफिकेशन आर.टी.ए.(लाईसेन्सिंग एण्ड कन्ट्रोल आर्डर) 1980 में विशेष संशोधन हेतु जारी किया गया है एवं इसमें विशेष रूप से उल्लेखित है कि यह इसके विधिवत रूप से प्रकाशन से लागू होगा एवं 30.9.2016 तक प्रभावित रहेगा। वक्त जांच अप्रार्थी द्वारा उनके पास आर.टी.ए.एल. नं0 2/2000 होने की बात कही थी किन्तु गुम हो जाने कारण वह उस समय दिखा नहीं सका। उनके द्वारा जांच अधिकारियों से तहसील कार्यालय से इसकी एवं उनके द्वारा चालान नं0 8 दिनांक 03.5.2000 से 500/–रूपये जमा कराये जाने की तस्दीक किये जाने का निवेदन किया गया था। अप्रार्थी को जब आर.टी.ए.एल के अन्तर्गत लाईसेन्स जारी है तो उन्हें नये सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके द्वारा सभी सामग्री कानूनन भण्डारित की गई है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कानून का कोई उल्लघंन नहीं किया है। अप्रार्थी के विरूद्ध जब्त दालो को बढे हुए दामो में विकय या कालाबाजारी किये जाने हेतु भण्डारण बाबत कोई रिकार्डेड साक्ष्य नहीं है। अभिभाषक अप्रार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर टोंक द्वारा समान प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 31.8.2016 एवं इसी न्यायालय (जिला कलक्टर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
अजमेर

अजमेर) द्वारा समान प्रकरण में पारित आदेश की फोटोस्टेट प्रतियॉ तथा राज्य सरकार के जारी नोटिफिकेशन दिनांक 20.10.2015 की प्रति प्रस्तुत करते हुए प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चे खारिज फरमाने एवं जब्त सामग्री अप्रार्थी को वापिस दिलवाये जाने के आदेश पारित फरमाने का निवेदन किया। बहस के जवाब में प्रार्थी पेरौकार सरकार ने कथन किया कि अप्रार्थी स्वयं स्वीकार कर रहा है कि वह पहले से ही दाल दलहन का व्यापार कर रहा है। अप्रार्थी द्वारा जवाब के साथ आर.टी.ए.एल. के तहत Fortnightly रिर्टन की छाया प्रति में दाल दलहन का उल्लेख नहीं है। इस बाबत दिनाक 20.10.2015 को राज्य सरकार द्वारा दाल दलहन के व्यापार हेतु घोषित स्टॉक सीमा से पूर्व दिनांक 22.6.2015 को राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन जो कि दिनांक 30.9.2015 तक प्रभावी था, दाल दलहन के व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक था एवं स्टॉक लिमिट निर्धारित थी। अतः स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा लगातार बिना अनुज्ञप्ति दाल/दलहन का अवैध भण्डारण एवं व्यापार कर राज्य सरकार के निर्देशों की निरन्तर अवहेलना की जा रहीं है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या– 1 अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.4.2016 के द्वारा इस न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.2015 मुख्यतः निम्न बिन्दुओं के तहत अपास्त कर प्रतिप्रेषित किया गया कि :–

1. उभय पक्ष को समुचित साक्ष्य का अवसर प्रदान करें।
2. क्या भण्डारण अपराधिक आशय से किया गया था ?
3. अप्रार्थी का आर.टी.ए.एल लाईसेन्स संख्या 2/2000 गुम होने से उसकी फोटोस्टेट प्रति वक्त जब्ती, अधिकारियों को प्रदत्त करवाये जाने तथा डूप्लीकेट लाईसेंस प्राप्त करने हेतु अप्रार्थी द्वारा की गई कार्यवाही के बिन्दु पर भी जांच करना आवश्यक था।
4. क्या पूर्व में Producer सम्मिलित नहीं था, अधिसूचना दिनांक 20.10.2015 के बाद ही Producer को सम्मिलित किया गया है ?

माननीय सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 22.04.2016 के निर्देशानुसार बिन्दूवार निर्णय निम्न प्रकार पारित किया जाता है।

1. उभय पक्ष को समुचित साक्ष्य का अवसर प्रदान करें।

माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दोनो पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया। प्रस्तुत साक्ष्य रिकार्ड पर लेकर जिरह पूर्ण करवाई जाकर बहस उभक्ष पक्ष सुनी गई।

2. क्या भण्डारण अपराधिक आशय से किया गया था ?
3. अप्रार्थी का आर.टी.ए.एल लाईसेन्स संख्या 2/2000 गुम होने से उसकी फोटोस्टेट प्रति वक्त जब्ती, अधिकारियों को प्रदत्त करवाये जाने तथा डूप्लीकेट लाईसेंस प्राप्त करने हेतु अप्रार्थी द्वारा की गई कार्यवाही के बिन्दु पर भी जांच करना आवश्यक था।

इन दोनों बिन्दु के संदर्भ में अप्रार्थी का तर्क कि वह दाल का व्यापारी है। तथा उनके द्वारा राजकुमार प्रदीपकुमार जैन के नाम से कृषि उपज मण्डी केकडी का स्थाई अनुज्ञप्ति पत्र, वाणिज्य विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र, फूड सैफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड एक्ट 2006 का लाईसेंस प्राप्त कर रखा है। राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनाक 20.10.2015 के द्वारा Raj. Trade article (licencensing and Control) order 1980) के क्लाज 3 से 16 में विशेष रूप से संशोधन किया गया है तथा स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। इस नोटिफिकेशन से पूर्व दिनांक 22.6.2015 को राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन जो कि

जिला कलक्टर
अजमेर

दिनांक 30.9.2015 तक प्रभावी था, दिनांक 30.9.2015 से 20.10.2015 तक इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं था। अप्रार्थी का आर.टी.ए.एल लाईसेंस संख्या 02/2000 (मूल) गुम हो जाने से इसकी फोटो स्टेट प्रति सलंग्न प्रस्तुत की गई है जो मार्क 5 है। अप्रार्थी द्वारा आर.टी.ए.एल. लाईसेन्स की डूप्लीकेट प्रति प्राप्त करने के लिए उपखण्ड अधिकारी सरवाड के समक्ष दिनांक 26.10.2015 को आवेदन प्रस्तुत किया जो कि मार्क 4 है। इन तथ्यों को पैरोकार सरकार द्वारा भी नकारा नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अप्रार्थी का उक्त भण्डारण अपराधिक आश्य से किया जाना प्रकट नहीं है तथा आर.टी.ए.एल लाईसेन्स संख्या 2/2000 अप्रार्थी की फर्म के नाम से जारी होने के तथ्यों के प्रकाश में यह दोनों बिन्दु अप्रार्थी के पक्ष में तय किये जाते है।

4. क्या पूर्व में Producer सम्मिलित नहीं था, अधिसूचना दिनांक 20.10.2015 के बाद ही Producer को सम्मिलित किया गया है ?

अधिसूचना दिनांक 20.10.2015 के बाद ही Producer को सम्मिलित किया गया है। इस तथ्य को उभय पक्ष द्वारा स्वीकार किया है एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से भी साबित है। लिहाजा यह बिन्दु भी अप्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

बिन्दु संख्या 01 न्यायालय के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है के अलावा शेष तीनो बिन्दु अप्रार्थी के पक्ष में तय किये गये है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी के पास आर.टी.ए.एल. अनुज्ञप्ति संख्या 2/2000 था जो गुम हो जाने की वजह से डुप्लीकेट लाईसेन्स हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष दिनांक 26.10.2015 को आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था। चूंकि अधिसूचना दिनांक 20.10.2015 में 15 दिवस का समय दिया गया था। लिहाजा जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 21.10.2015 को की गई जांच/कार्यवाही विधिसम्मत नहीं होने एवं मामला आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत नहीं पाया जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, अजमेर को जब्त शुदा 162.40 क्वि0 दालों अथवा उसके निस्तारण से प्राप्त राशि अप्रार्थी को लौटाये जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 23.08.2018 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर